मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017

(क्रमांक 11 सन् 2017)

शुद्धि-पत्र

क्र.	खण्ड	अशुद्ध / शुद्ध
1.	खण्ड 2 के उपखण्ड (4) में-	शब्द, "अधिनियम" के पूर्व शब्द "इस" अन्त:स्थापित किया जाये.
2.	खण्ड 2 के उपखण्ड (6) में-	शब्द, "सकल आवर्त" के पश्चात् शब्द, "समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अखिल भारतीय आधार पर संगणित" अंत:स्थापित किया जाये, तथा शब्द, "या दोनों के निर्यातों और" के पश्चात् शब्द शब्द, "अखिल भारतीय आधार पर संगणित समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के" विलोपित किया जाये.
3.	खण्ड 2 के उपखण्ड (21) में -	"केन्द्रीय कर" की परिभाषा के स्थान पर खण्ड 2 (111) में उल्लेखित "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" की परिभाषा को प्रतिस्थापित किया जायेगा व इसके परिणाम स्वरूप खण्ड 2 (21) से लेकर खण्ड 2(111) में उल्लेखित परिभाषाओं के क्रमांक तदुनसार परिवर्तित किये जायें.
4.	खण्ड 2 के उपखण्ड (24) में-	शब्द, "अकाउंटेड" विलोपित किया जाये.
5.	खण्ड 2 के उपखण्ड (57) में-	शब्द, "भारत का राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड, राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड" के स्थान शब्द, "भारत का राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड" प्रतिस्थापित किया जाये.
6.	खण्ड 2 के उपखण्ड (64), खण्ड 2 उपखण्ड (65), खण्ड 9 उपखण्ड (1) तथा (5) में-	शब्द, "अंतरराज्यिक" के स्थान पर शब्द, "अंत:राज्यिक" प्रतिस्थापित किया जाये.
7.	खण्ड 6 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का क्रमांक 14)" के स्थान पर शब्द, "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 12)" प्रतिस्थापित किया जाये.
8.	खण्ड 17 के उपखण्ड (5) (क) (एक) (अ) में-	शब्द, "और" के स्थान पर शब्द, "अग्रतर" प्रतिस्थापित किया जाये.
9.	खण्ड 18 के उपखण्ड (1) (ख) में-	शब्द, "रजिस्ट्रीकरण लेने का हकदार" के स्थान पर शब्द, "रजिस्ट्रेशन लेता है" प्रतिस्थापित किया जाये.

10.	खण्ड 19 के उपखण्ड (5) में-	शब्द, “किसी जॉब वर्क के लिये” को विलोपित किया जाये.
11.	खण्ड 20 के उपखण्ड (2) (घ) में-	शब्द तथा अल्प विराम, “ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है,” के पश्चात् शब्द तथा अल्प विराम, “जो कि वर्तमान वर्ष में परिचालित है उनका सकल आवर्त,” अन्त:स्थापित किया जाये.
12.	खण्ड 25 के उपखण्ड (12) में-	शब्द, “द्वारा” के स्थान पर शब्द, “को” प्रतिस्थापित किया जाये, तथा शब्द, “भीतर” के पश्चात् शब्द, “आवेदक” विलोपित किया जाये.
13.	खण्ड 28 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, “यथास्थिति” विलोपित किया जाये, शब्द, “राज्य” के स्थान पर शब्द, “केन्द्रीय” प्रतिस्थापित किया जाये, तथा शब्द, “या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम” विलोपित किया जाये, तथा कोष्टक में अंक “14” के स्थान पर अंक “12” प्रतिस्थापित किया जाये.
14.	खण्ड 38 के उपखण्ड (2) में-	शब्द, “समन्वित” के स्थान पर शब्द, “एकीकृत” प्रतिस्थापित किया जाये.
15.	खण्ड 39 के उपखण्ड (1) में-	अंक “10” के पश्चात् अल्प विराम “,” के स्थान पर शब्द, “या” प्रतिस्थापित किया जाये.
16.	खण्ड 39 के उपखण्ड (2) में-	शब्द, “विहित की जाये,” के पश्चात् शब्द तथा अल्प विराम “,” “राज्य के भीतर टर्न ओवर,” अंत:स्थापित किया जाये.
17.	खण्ड 47 के उपखण्ड (2) में-	अंक “44” के पश्चात् शब्द तथा अंक “या धारा 45” एवं शब्द, “राज्य” के पश्चात् शब्द, “या संघ राज्य क्षेत्र” विलोपित किया जाये.
18.	खण्ड 48 के उपखण्ड (2) में-	अंक “44” के पश्चात् शब्द एवं अंक “या धारा 45” अंत:स्थापित किया जाये.
19.	खण्ड 50 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, “केन्द्रीय” विलोपित किया जाये.
20.	खण्ड 54 के उपखण्ड (13) में-	शब्द, “करनी” के स्थान पर शब्द, “कर दी” प्रतिस्थापित किया जाये.
21.	खण्ड 56 में-	शब्द, “परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली” के स्थान पर, शब्द, “सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट” प्रतिस्थापित किया जाये.
22.	खण्ड 57 में-	अंत में पूर्ण विराम “।” के स्थान पर, अल्प विराम “,” तथा उसके पश्चात् नई पंक्ति के रूप में शब्द तथा पूर्ण विराम “ऐसी रीति से जो विहित की जायेगा।” प्रतिस्थापित किया जाये.

23.	खण्ड 67 के उपखण्ड (9) में-	शब्द, “या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उपधारा (2) के अधीन” के स्थान पर “या उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा” प्रतिस्थापित किया जाये.
24.	खण्ड 67 के उपखण्ड (11) में-	शब्द, “अभिग्रहण कर सकेगा और” के पश्चात् शब्द, “इसके लिये पावती प्रदान करेगा” प्रतिस्थापित किया जाये.
25.	खण्ड 79 के उपखण्ड (1) (ख) में-	दी गई शब्दावली के स्थान पर “ऐसे व्यक्ति से संबंधित किसी माल जो समुचित अधिकारी अथवा ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रण के अधीन हो, को निरुद्ध और विक्रय कर ऐसी देय राशि को समुचित अधिकारी वसूल करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से वसूली की अपेक्षा करेगा.” प्रतिस्थापित किया जाये.
26.	खण्ड 79 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, “राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर” के स्थान पर शब्द, “केन्द्रीय कर” प्रतिस्थापित किया जाये.
27.	खण्ड 81 के परन्तुक में-	शब्द, “ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय राशि” के स्थान पर शब्द, “ऐसे कर या उस व्यक्ति द्वारा अन्य संदेय राशि की सूचना के बिना या” प्रतिस्थापित किया जाये.
28.	खण्ड 83 के उपखण्ड (1) में-	शब्द, “खाता” के पश्चात् शब्द, “भी” अंत:स्थापित किया जाये.
29.	खण्ड 88 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, “परिसमापन के” पश्चात् शब्द, “पूर्व या” अंत:स्थापित किया जाये.
30.	खण्ड 91 में-	शब्द, “न्यासी या” के पश्चात् शब्द, “संरक्षक” के स्थान पर शब्द, “अभिकर्ता” प्रतिस्थापित किया जाये.
31.	खण्ड 100 के उपखण्ड (2) में-	शब्द, “नब्बे दिन” के स्थान पर शब्द, “तीस दिन” प्रतिस्थापित किया जाये.
32.	खण्ड 122 के उपखण्ड (1) (दस) में-	शब्द, “या” को विलोपित किया जाये.
33.	खण्ड 123 में-	शब्द, “जिससे” के स्थान पर शब्द, “जिसे” प्रतिस्थापित किया जाये तथा शब्द, “विनिर्दिष्ट अवधि” के पश्चात् शब्द, “के भीतर” अंत:स्थापित किया जाये.

34.	खण्ड 129 के उपखण्ड (1) (क), (ख) तथा खण्ड 130 के उपखण्ड (1) (पांच) तथा खण्ड 130 के उपखण्ड (2) के तृतीय परन्तुक में-	शब्द, "प्रधान" के स्थान पर शब्द, "स्वामी" प्रतिस्थापित किया जाये.
35.	खण्ड 132 के उपखण्ड (1) (ख) में-	शब्द, "गलत प्राप्ति या निक्षेप कर प्रत्यय" के स्थान पर शब्द, "इनपुट कर प्रत्यय की गलत प्राप्ति या उपयोग" प्रतिस्थापित किया जाये.
36.	खण्ड 132 के उपखण्ड (1) (ठ) (एक), (दो) तथा (तीन) में-	शब्द, "ली गई" के पश्चात् शब्द, "या उपयोग की गई" अंत:स्थापित किया जाय, शब्द, "के" के स्थान पर शब्द, "कर" एवं शब्द, "या प्रयोग की जा चुकी या वापस" के स्थान पर शब्द, "के मामलों में गलत वापसी" प्रतिस्थापित किया जाये.
37.	खण्ड 132 के उपखण्ड (ठ) (एक) में-	शब्द, "अधिक" के पश्चात् शब्द, "है" प्रतिस्थापित किया जाये.
38.	खण्ड 132 के उपपखण्ड (2) में-	शब्द, "जुर्माने से" के पश्चात् शब्द, "दंडनीय होगा" जोड़ा जाये.
39.	खण्ड 135 में दिये गये स्पष्टीकरण-(एक) तथा (दो) में-	शब्द, "एक तथ्य" के स्थान पर शब्द, "कोई तथ्य शामिल है" प्रतिस्थापित किया जाये, तथा शब्द, "एक" के पश्चात् शब्द, "कोई तथ्य" प्रतिस्थापित किया जायेगा एवं शब्द, "संदेह के" स्थान पर शब्द, "संदेह के परे होना" प्रतिस्थापित किया जाये.
40.	खण्ड 138 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, "अधीन" के पश्चात् शब्द, "अग्रेतर कार्यवाहियां" अंत:स्थापित किया जाये.
41.	खण्ड 139 के उपखण्ड (3) (दो) में-	शब्द, "प्रतिदेय कर" के स्थान पर शब्द, "कर प्रत्यय" प्रतिस्थापित किया जाये.
42.	खण्ड 141 के उपखण्ड (3) में-	प्रथम पैराग्राम में दिये गये शब्द के स्थान पर शब्द, "जहां किसी माल कारबार के स्थान से किसी परीक्षण कराये जाने या अन्य प्रक्रिया हेतु कर का संदाय किये बिना किन्हीं परिसरों में, चाहे रजिस्ट्रीकृत हों या नहीं, विद्यमान विधि के अनुसार नियत दिवस से पूर्व, प्रेषित कर दिया गया था, और ऐसा माल कारबार के उक्त स्थान पर नियत दिवस को या उसके पश्चात् लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन या किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन नियत दिवस से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है:" प्रतिस्थापित किया जाये.
43.	खण्ड 141 के उपखण्ड (4) में-	शब्द, "केवल विनिर्माता" के स्थान पर शब्द, "माल भेजने वाला व्यक्ति", शब्द, "कार्य-कर्मकार" के स्थान पर शब्द, "जॉब वर्कर", शब्द, "में" के स्थान शब्द, "की" एवं शब्द, "करेगा" के स्थान पर शब्द, "करता है" प्रतिस्थापित किया जाये.

44.	खण्ड 142 के उपखण्ड (2) (क) में-	शब्द, "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को" के पश्चात् शब्द, "जिसने ऐसे मालों का विक्रय किया था" अंत:स्थापित किया जाये.
45.	खण्ड 142 के उपखण्ड (6) (क) में-	शब्द, "अपील" के पश्चात् शब्द तथा अल्प विराम "पुनरीक्षण," अंत:स्थपित किया जाये एवं शब्द, "अंतविष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी" विलोपित किया जाये.
46.	खण्ड 142 के उपखण्ड (6) (ख) में-	शब्द, "अपील" के पश्चात् शब्द तथा अल्प विराम "पुनर्विलोकन," अंत:स्थपित किया जाये.
47.	खण्ड 142 के उपखण्ड (7) (क) में-	शब्द, "अपील" के पश्चात् तथा अल्प विराम "पुनरीक्षण," अंत:स्थापित किया जाये.
48.	खण्ड 142 के उपखण्ड (7) (ख) में-	शब्द, "अपील" के पश्चात् शब्द तथा अल्प विराम "पुनर्विलोकन," अंत:स्थापित किया जाये एवं शब्द, "अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी" विलोपित किया जाये.
49.	खण्ड 143 के उपखण्ड (1) (क) तथा (ख) में-	शब्द, "पूंजी लाभ" के स्थान पर शब्द, "पूंजी माल" प्रतिस्थापित किया जाये.
50.	खण्ड 143 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, "से" के स्थान पर शब्द, "या" प्रतिस्थापित किया जाये.
51.	खण्ड 147 में-	शब्द, "नियति" के स्थान पर शब्द, "निर्यात" प्रतिस्थापित किया जाये.
52.	खण्ड 149 के शीर्षक में-	शब्द, "रेंटिग" के स्थान शब्द, "रेटिंग" प्रतिस्थापित किया जाये.
53.	खण्ड 150 के उपखण्ड (1) (ञ) में-	शब्द, "कलेक्टर" के पश्चात् शब्द, "होने के कारण इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरूद्ध वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी" विलोपित किया जाये.
54.	खण्ड 158 के उपखण्ड (3) में-	शब्द, "इस धारा में अंतविष्ट किसी बात के" के पश्चात् शब्द, "होने पर भी" जोड़ा जाये.
55.	अनुसूची-1 के शीर्षक में-	शब्द, "विचार" के स्थान पर शब्द, "प्रतिफल" प्रतिस्थापित किया जाये.

भोपाल
दिनांक 1 मई, 2017

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.